(c) if answer to part (b) above be in negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Life Insurance Corporation of India has not found this feasible and also, the employees of the Life Insurance Corporation are demanding pension as a third retirement benefit. At present they are getting Gratuity and matching contribution of the employer in the Contributory Provident Fund. It has not been considered possible to accede to the demand of pension as a third benefit.

सरकार द्वारा विद्युत केन्द्र पर किया गया व्यय

*275. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन और उनकी वितरण- हानियों के सम्बन्ध में, राज्य-वार, कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में गुजरात में किए गये प्रयासों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य, युटिलिटियों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र जोकि प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है और जिसकी प्रबन्ध व्यवस्था राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एजेंसी आधार पर ली जा रही है, के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु निम्नानुसार निधियां जारी की गई थी :-

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (वास्तविक रूप से जारी निधियां)

	(करोड़ रुपये)
1990-91	319.0623
1989-90	318.3033
1988-89	246.6351

ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन सुधार करने की दृष्टि से एक नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम तथा उत्कृष्ट उत्पादकता पुरस्कार स्कीम आरम्भ की गई है।

वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)** पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी होने प्रोत्साहन स्कीम भी आरम्भ की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम के अन्तर्गत जारी धनराशि और प्रदान किए गए पुरस्कारों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1988-89	117.90
1989-90	114.15
1990-91	61.99

(ख) गुजरात राज्य के ताप विद्युत केन्द्रों को भी नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम तथा उत्कृष्ट उत्पादन पुरस्कार स्कीम में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी हेतु प्रोत्साहन स्कीम में गुजरात राज्य की पारेषण एवं वितरण प्रणाली सम्मिलित है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों में प्रतिशत ट्रांसफारमेशन, पारेषण एवं वितरण हानियां (बिद्युत की चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियों सहित)

क्षेत्र	बिजली बोर्ड/विभाग	1987–88	1988–89	1989–90
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	25.54	26.62	29.19
	2. हिमाचल प्रदेश	22.84	22.08	18.74*
	3. जम्मू एवं कश्मीर	45.05	41.46	49.46*
	4. पंजाब	18.86	18.32	18.96*
	5 राजस्थान	24.39	25.34	21.97*
	6. उत्तर प्रदेश	26.83	27.41	26.10
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	21.54	19.61	22.08*
	2. मध्य प्रदेश	21.97	22.07	19.48
	3. महाराष्ट्र	14.32	15.77	17.60
	4. गोवा	23.86	25.61	25.22
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	20.20	19.35	20.20*
	2. कर्नाटक	21.99	21.29	20.00
	3. केरल	29.77	25.23	21.97
	4. तमिलनाडु	18.44	17.66	18.46
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	21.64	23.96	21.50*
	2. उड़ीसा	24.95	27.52	23.99*
	3. सिक्किम	22.37	21.38	23.36
	4. पश्चिम बंगाल	23.40	23.23	22.56
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1. असम	24.04	24.98	21.58
	2. मणिपुर	33.98	35.71	20.83*
	3. मेघालय	9.57	9.60	10.90
	4. नागालैण्ड	31.31	29.00	18.00**
	5. त्रिपुरा	29.23	30.57	30.00
	6. अरुणाचल प्रदेश	22.59	24.89	27.55
	7. मिजोरम	29.08	29.66	29.00*

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनन्तिम हैं तथा ऊर्जा की अन्तर्राज्यीय बिक्री खरीद की गणना के बाद इनमें संशोधन किया जा सकता है।

2. मेघालय के सम्बन्ध में पारेषण एवं वितरण हानियों सम्बन्धी कम आंकड़े, पड़ौसी राज्यों को काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा की सप्लाई किए जाने के कारण हैं।

3. 14 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार।

स्रोत : 1. पी डी बी एण्ड आई निदेशालय।

2. *राज्य बिजली बोर्ड/बिजली विभाग।

3. *योजना आयोग में संसाधनों से सम्बन्धित विचार-विमर्श।

4. **1991–92 के लिए वार्षिक योजना विचार-विमर्श।

हरिजनों पर अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाएं

*276. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री मुरलीधर चन्द्रकान्त भंडारे :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक शोषण से बचाने के लिए मुद्दे पर चर्चा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों को सशक्त बनाने के लिए कौन-कौन से अन्य उपाय करने का निर्णय किया गया था ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) नई दिल्ली में 4–5 अक्तूबर, 1991 को संपन्न मुख्यमंत्रियों की बैठक में लिए गए निर्णय, विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिए गए हैं । (नीचे देखिए) ये निर्णय सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कार्रवाई हेतु संप्रेषित कर दिए गए हैं ।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम के बारे में विचार विमर्श करने के लिए 4–5 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य-मंत्रियों का सम्मेलन

सामान्य निर्णय

1. सम्मेलन इससे सहमत था कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है तथा राजनीतिक विचारधारा से परे है । इसलिए इस पर राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है ।

2. यह सुझाव दिया गया था कि कारगर तथा समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य के मुख्यमंत्रियों को स्वयं इस मामले में निकट से सीधा तथा सतत संपर्क बनाए रखना चाहिए ।

3. महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिन पदों पर निर्धारित कोटा के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है उन्हें यथाशीघ्र अधिक से अधिक 31 मार्च, 1992 तक, भर लिया जाना चाहिए ।